राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन

जी-3/ए-ए, राजमहल पैलेस के पीछे, रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ 16(1)( )स्था./नि.वियो./दि.अधि. अधि. 16/2017/13639 जयपुर, दिनांक :25/X/17

प्रेस नोट

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 भारत सरकार द्वारा दिनांक 19.04.2017 को सम्पूर्ण भारत वर्ष में लागू किया जा चुका है। अधिनियम की धारा 101 अन्तर्गत राज्य सरकार को राजस्थान राज्य हेतु नियमों का निर्माण किया जा रहा है। ड्राफ्ट नियमों का प्रारूप दिनांक 4 अगस्त, 2017 को विभागीय बेवसाईट www.sje.rajasthan.gov.in पर आमजनों के सुझाव हेतु दिनांक 21 अगस्त, 2017 तक अपलोड किया गया था। तत्पश्चात प्राप्त सुझावों के आधार पर नियमों की परिधि में नियमों प्रारूप में आवश्यक संशोधन किये गये। तत्पश्चात विभागीय पत्र दिनांक 21.08.2017 के द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2017 तक पुनः सुझाव आमंत्रित किये गये। प्राप्त सुझावों के आधार पर ड्राफ्ट नियमों में संशोधन किया गया तथा नियमों में आवश्यक संशोधन हेतु निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन की अध्यक्षता में विशेष योग्यजनों के प्रतिनिधियों के साथ दो बैठकें आयोजित की गई। नियमों को अन्तिम रूप दिया जाना है, तैयार किया गया प्रारूप विभागीय बेवसाईट www.sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। सुझाव दिनांक 03 नवम्बर, 2017 को सांय 6.00 बजे ई-मेल आई.डी. sjeraj_dis@ yahoo.com पर आमंत्रित है। यदि कोई संस्था/प्रतिनिधि व्यक्तिगत सुझाव देना चाहते है तो दिनांक 03 नवम्बर, 2017 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिवालय, जयपुर स्थित उनके कक्ष संख्या 1040 में व्यक्तिशः उपस्थित होकर दे सकते है। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक
एवं विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांक : प16(1)(   )स्था./नि.वि.यो./दि.अधि. अधि. 16/2017/ 13640-43   जयपुर, दिनांक 24/X/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सहायक निदेशक (जन सम्पर्क), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मुख्यावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. श्री तपेश कुमार कश्यप, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, सान्याअवि, को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि ड्राफ्ट नियमों एवं संलग्न प्रेस नोट को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड़ कराने का श्रम करें।

अ. निदेशक